प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/1122-1 दिनांक: 16.08.2012

विषय: वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अन्तर्गत संविदा पर आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) के पुनर्अनुबन्ध के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/797–75 दिनांक 23.07.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. रिट याचिका सं0 769/2011 डा0 देवेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा संयुक्त रिट याचिका सं0 706/2011 डा0 पीयूष अवस्थी एवं अन्य प्रति यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 08.07.2011 को निर्णय पारित किया गया है, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् उद्धृत है–

"In view of the above, the writ petitions deserve to be and are allowed. A writ in the nature of certiorari is issued quashing the order dated 15.4.2011 issued by Director General, Family Welfare and all other orders and circular issued by the State of U.P. or the State Mission in pursuance to revised PIP. Subject to approval of Government of India and fund made available, all incumbents which includes Male and Female Ayush doctors and pharmacists shall be entitled to continue in service till the scheme continues.

However, it shall be open to the State and the Mission to revise PIP strictly in accordance to NRHM scheme and Operational Guidelines in case exigencies of services required and pass fresh order.

A writ in the nature of mandamus is issued directing the State Government and the Mission authorities to display each and every appointment made under the NRHM scheme in the State of U.P. on a website, indicating there in the name, address, post or designation, qualification, salary and tenure of appointment of the employee/person concerned, forthwith.

Let a copy of this judgment be sent to the Chief Secretary, Government of U.P. to adopt corrective measures and streamline the system of governance keeping in view the observations made and findings recorded in the body of judgment."

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रथम चरण (वर्ष 2005–12) दिनांक 31.03.2012 को समाप्त हो गया है तथा द्वितीय चरण (वर्ष 2012–17) दिनांक 01.04.2012 से प्रारम्भ हो गया है।

4. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 08.07.2011 के क्रियात्मक अंश "However, it shall be open to the State and the Mission to revise PIP strictly in accordance to NRHM scheme and Operational Guidelines in case exigencies of services required and pass fresh order." का समादर करते हुये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वितीय चरण (वर्ष 2012–17) में प्रदेश की आवश्कताओं एवं भारत सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप वर्ष 2012–13 की पी0आई0पी0 में मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष से सम्बन्धित प्रस्ताव भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

5. एन0आर0एच0एम0 डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 10(30)/2012/एनआरएचएम–1 दिनांक 16.07.2012 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत

---2

मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष (Co-location of AYUSH Facilities at District Level Hospitals & Block Level CHC/PHC) हेतु वर्ष 2012–13 में कुल 1203 आयुष चिकित्सक पुरूष (जिसमें 25 योग विधा के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं) एवं 24 X 7 प्रसव केन्द्र हेतु कुल 841 आयुष चिकित्सक महिला को संविदा पर अनुबन्धित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है। संविदा पर अनुबन्धित किये जाने वाले आयुष चिकित्सक को रू0 24000.00 प्रति माह की दर से मानदेय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा की गयी है।

6. उपर्युक्त कम में वर्ष 2011–12 में संविदा पर कार्यरत् आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) के सापेक्ष वर्ष 2012–13 में दिये गये योगदान से संबंधित जनपद स्तर से प्राप्त सूचना, संविदा चिकित्सकों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 की स्वीकृत पी0आई0पी0 में विभिन्न जनपदों के लिए अनुमोदित पदों के सापेक्ष जनपदवार संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष) तथा संविदा आयुष चिकित्सक (महिला) की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

7. विभिन्न जनपदों में वर्ष 2011–12 में संविदा पर अनुबन्धित आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) को वर्ष 2012–13 में यथा सम्भव उन्हीं जनपदों में समायोजित किया गया है, जिन जनपदों में वे वर्ष 2011–12 में अनुबन्धित थे एवं उन जनपदों में वर्ष 2012–13 में उनकी अनुमोदित संख्या वर्ष 2011–12 में कार्यरत् संख्या के बराबर है।

8. जिन जनपदों में आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) की वर्ष 2012–13 में अनुमोदित संख्या वर्ष 2011–12 में कार्यरत् संख्या से कम या अधिक है उन जनपदों में समायोजन हेतु संविदा आयुष चिकित्सकों द्वारा दिये गये विकल्पों/अनुरोध/वरीयता/गृह जनपद अथवा गृह जनपद की समीपता को आधार बनाकर यथासम्भव समायोजित किया गया है।

9. संलग्न सूची के आधार पर जनपदों के अन्दर चिकित्सकों की तैनाती निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा की जायेगी। इसका सुविचारित प्रस्ताव मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार कर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

1) **आयुष चिकित्सक (पुरूष)** के नियुक्ति हेतु कार्य स्थल का निर्धारण शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव के आधार पर निम्नवत् किया जाएगा–
   - अ. जनपद चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय– कुल तीन आयुष चिकित्सक (एक आयुर्वेद, एक होम्योपैथ एवं एक यूनानी पद्धति के होंगे)। जनपद चिकित्सालय में सम्बन्धित पैथी के पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी, पोस्ट ग्रेजुएट न मिलने की स्थिति में अधिकतम कार्य अनुभव/उम्र वाले चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी।
   - ब. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– प्रत्येक पर एक चिकित्सक–आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति का कार्य अनुभव/उम्र की वरीयता के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।
   - स. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–(ब्लाक स्तरीय) प्रत्येक पर एक चिकित्सक–आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति का नियुक्त किया जायेगा।

2) **आयुष चिकित्सक (महिला)–** प्रत्येक 24 X 7 प्रसव केन्द्र पर एक चिकित्सक (महिला)–आयुर्वेद अथवा होम्योपैथ अथवा यूनानी पद्धति की नियुक्त की जायेंगी। इनके कार्य स्थल का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाये कि वर्ष 2011–12 के जिन कार्य स्थलों में उनकी तैनाती थी यथासम्भव उन्हें वहीं रखा जायेगा। यदि उनके कार्य स्थल में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो औचित्य सहित उक्त पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही उनके कार्यस्थल में परिवर्तन किया जायेगा एवं इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

10. इस आदेश के अनुपालन में आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) की जिस कार्य स्थल पर संविदा पर नियुक्ति की जाये, वे दिनांक 31.03.2013 तक वहीं पर निर्दिष्ट कार्य का सम्पादन करेगें। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अन्य स्थान पर अथवा अन्य कार्यों हेतु सम्बद्ध नहीं किया जायेगा।

---3

11. अनुबन्धित किये गये आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) के शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 3 माह के अन्दर सम्बन्धित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय एवं चिकित्सा परिषद में भेज कर सत्यापित करा लिया जाये तथा वैधानिक रूप से सही न जाये गये प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुये उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये इसकी सूचना राज्य मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

12. संलग्न सूची के अनुसार संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) को उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप कार्य स्थल निर्धारित करते हुए जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुबन्धित किया जायेगा एवं अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा। इसकी सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारूप पर ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर दिनांक 31.08.2012 तक प्रेषित की जायेगी, जिससे उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बेवसाइट पर अपलोड किया जा सके –

क0 सं0	अनुबन्धित कर्मी का नाम	स्थायी पता तथा मोबाइल नम्बर/ई–मेल	पद नाम	शैक्षिक योग्यता	शिक्षण संस्थान/ विश्वविद्यालय का नाम, जनपद एवं राज्य सहित	अनुबन्ध का दिनांक	कार्य स्थल	टिप्पणी

13. पत्र के साथ संलग्न सूची में किसी तरह की त्रुटि दृष्टिगत् होने पर सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी दिनांक 25.08.2012 तक अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित इसकी सूचना ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेगें। सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा इस निर्देश का समायान्तर्गत अनुपालन न किये जाने की स्थिति में वे त्रुटि के संशोधन न किये जाने के लिये उत्तरदाई माने जायेंगे।

14. जनपदों से प्राप्त त्रुटियों से सम्बन्धित ई–मेल का निस्तारण दिनांक 31.08.2012 तक करते हुये उसे आवश्यक कार्य हेतु वेबसाइट पर दिशा–निर्देश के साथ अपलोड कर दिया जायेगा। इसके साथ ही जनपदों में आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला)/आयुष फार्मासिस्ट के वर्ष 2012–13 हेतु संविदा के अनुमोदित पदों के सापेक्ष रिक्तियों की सूची भी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बेवसाइट पर दिनांक 05.09.2012 तक अपलोड कर दी जायेगी।

15. वर्तमान में आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) ने इस कार्यालय के पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष/25/2012–13/797–75 दिनांक 23.07.2012 के कम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिस तिथि को योगदान दिया है उसी तिथि से उनका अनुबन्ध किया जायेगा। यदि आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) को किसी दूसरे जनपद में समायोजित किया गया है तो समायोजित किये गये जनपद में उनका अनुबन्ध पूर्व जनपद में योगदान की तिथि से किया जायेगा। इसके लिए पूर्व तैनाती के जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके योगदान की तिथि एवं उपस्थिति का प्रमाण–पत्र इस आदेश के आधार पर समायोजित किये गये जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 25.08.2012 तक ई–मेल से प्रेषित किया जायेगा और उसकी कॉपी ई–मेल generalmanagernp@gmail.com पर भी प्रेषित की जायेगी। आयुष चिकित्सक (पुरूष)/आयुष चिकित्सक (महिला) का मानदेय उनकी किसी भी जनपद में उक्त आदेश दिनांक 23.07.2012 के कम में योगदान की तिथि से देय होगा।

16. संविदा कर्मियों के अनुबन्ध या संविदा पर नियुक्ति हेतु कोई उत्कोच या अवैध धनराशि का आदान–प्रदान (रिश्वत) पूर्णतः गैर कानूनी एवं दण्डनीय अपराध है अतः इस प्रकार का घृणित कार्य न किया जाये। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा इस पर निगरानी रखी जायेगी तथा इस प्रकार का

कृत्य संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये इसकी सूचना शासन एवं इस कार्यालय को भी दी जायेगी।

17. संविदा आयुष चिकित्सक (पुरूष) एवं आयुष चिकित्सक (महिला) का वार्षिक अनुबन्ध प्रतिवर्ष स्वीकृत होने वाली पी0आई0पी0 एवं संविदा पर अनुबन्धित चिकित्सकों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

16/08/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / मेनस्ट्रीमिगं ऑफ आयुष / 25 / 2012–13 / 1122-1-12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, उ0प्र0।
6. निदेशक, यूनानी सेवाएं, उ0प्र0।
7. निदेशक, होम्योपैथ सेवाएं, उ0प्र0।
8. वित्त नियंत्रक, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0आर0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 अनिल कुमार मिश्र)
महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं आयुष